## प्राक्कथन

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जाते हैं जबकि अध्याय III भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(अ) के अंतर्गत विधानमण्डल में प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय I, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत संपादित सरकारी विभागों के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षे उ) के व्यय की लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस अध्याय में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संपादित राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व प्राप्त करने वाले प्रमुख विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन के अध्याय III, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा (इन कम्पनियों में वह कम्पनियाँ भी सम्मिलित हैं, जिन्हें कम्पनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कम्पनी माना गया है) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 139 एवं 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपादित की जाती है एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के अंतर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत उल्लिखित हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में संज्ञान में आए साथ ही साथ वे प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए थे परन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। वे दृष्टांत, जो वर्ष 2016-17 की आगामी अवधि से संबंधित हैं परन्तु वर्ष 2016-17 से संबद्ध हैं, जहाँ कहीं भी आवश्यक हुए, सम्मिलित किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।